भारत का उच्चतम न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 358/2022

(एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5960/2018 से उत्पन्न)

धीरज भादविया अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान और अन्य प्रत्यर्थी

आदेश

स्वीकृति दी गई।

यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित एकल पीठ के आपराधिक विविध जमानत संख्या 9433/2017 के निर्णय और आदेश दिनांकित 05.02.2018 को चुनौती देती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए राजस्थान के उदयपुर जिले के अम्बामाता पुलिस थाने में दिनांक 19.08.2017 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 345/2017 के अंतर्गत दर्ज अपराध के संबंध में गिरफ्तारी की आशंका में, अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के संदर्भ में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत किए जाने के बाद, वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

दिनांक 13.08.2018 के आदेश द्वारा नोटिस जारी करते हुए, गिरफ्तारी पर रोक लगाकर अपीलार्थी को अंतरिम राहत प्रदान की गई थी, जिससे अपीलार्थी को पिछले साढ़े तीन वर्षों से राहत मिली है।

परिणामतः, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई विचार किए बिना, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए इस अपील को स्वीकृति देते हैं और यह निर्देश देते हैं कि:

(क) यदि अपीलार्थी पूर्वोक्त अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करेगा, बशर्ते कि वह 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए केवल) नकद राशि, दो जमानतदारों के साथ प्रस्तुत करे।

(ख) अपीलकर्ता आगामी जांच में पूरा सहयोग करेगा और जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए, अपीलकर्ता 14.03.2022 को सुबह 11.00 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होगा और पूरे सप्ताह सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त अवलोकन के आधार पर, अपील स्वीकार की जाती है।

(उदय उमेश ललित) जे.

(एस. रविन्द्र भट) जे.

नई दिल्ली।

07 मार्च, 2022.

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.